प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0, लखनऊ।

**पर्यटन अनुभाग** **लखनऊ, दिनांक 13 जनवरी,2024**

विषय:-श्री गुरू संत रविदास जी की जन्मस्थली सीरगोवर्धन वाराणसी के पुनर्विकास एवं विस्तार परियोजना के निर्माण कार्य हेतु ग्राम-सीरगोवर्धन, परगना-देहात अमानत, तह0-सदर, जिला वाराणसी में प्रस्तावित भूमि रकबा-0.6948 हे0 का अधिग्रहण करने हेतु संशोधित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1500/6-1-1(1278)/2020-21 दिनांक 12.06.2023, सं0-2919/6-1-1(वाराणसी मण्डल)/2021-22 दिनांक 04.08.2023 एवं संख्या-7256/6-1-1/(वाराणसी मण्डल)/2023-24, दिनांक 28.12.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. श्री गुरू संत रविदास जी की जन्मस्थली सीरगोवर्धन वाराणसी के पुनर्विकास एवं विस्तार परियोजना के निर्माण कार्य हेतु आवश्यक भूमि का क्रय/अधिग्रहण किये जाने हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत है:-

| क्र0 | वित्तीय वर्ष | शासनादेश संख्या व दिनांक | प्रशासकीय स्वीकृति | अवमुक्त धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-20 | संख्या-184/2019/1828/41-2019-20(बजट)/2018 दिनांक 03.07.2019 | रू० 33,20,00,000.00 | रू० 33,20,00,000.00 |

3. तत्क्रम में महानिदेशक पर्यटन के सन्दर्भगत पत्र दिनांक 12.06.2023 एवं 04.08.2023 ने विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, वाराणसी द्वारा सीरगोवर्धन में रकबा-0.6948 हे0 अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित धनराशि रू0 29,41,55,679.00 में से पूर्व में आवंटित धनराशि रू0 33,20,00,000.00 के सापेक्ष अवशेष बची धनराशि रू0 11,07,54,024.00 को घटाने के उपरान्त रू0 18,34,01,655.00 का बजट आवंटन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 03.07.2019 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 में श्री गुरू संत रविदास जी की जन्मस्थली सीरगोवर्धन वाराणसी के पुनर्विकास एवं विस्तार परियोजना के निर्माण कार्य हेतु ग्राम-सीरगोवर्धन, परगना-देहात अमानत, तह0-सदर, जिला वाराणसी में प्रस्तावित भूमि रकबा-0.6948 हे0 का अधिग्रहण करने हेतु कुल रू0 51,54,01,655.00 (रू0 एक्यावन करोड़ चौवन लाख एक हजार छ: सौ पचपन मात्र) की संशोधित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा रू0 18,34,01,655.00 (रू0 अट्ठारह करोड़ चौतीस लाख एक हजार छ: सौ पचपन मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए जिलाधिकारी वाराणसी के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु पर्यटन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 03.07.2019 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17.03.2023 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद/प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। विभिन्न मदों में स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा। निदेशालय द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा

(3) प्रस्तर-4 में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। अत: जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।



http://shasanadesh.up.gov.in

मामलों में धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से मदवार व्यय विवरण शासन को उपलब्ध कराते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही व्यय सुनिश्चित किया जाय।

(4) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि में से नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु आवश्यक धनराशि को कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(6) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय सुनिश्चित करने के पूर्व महालेखाकार एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा के रिपोर्टों/प्रतिवेदनों/आपत्तियों को अनिवार्य रूप से दृष्टिगत रखते हुए उनका समाधान करने के पश्चात ही नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(8) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(9) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(10) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(11) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत प्रायोजना हेतु चिन्हित भूमि प्रतिकर निर्गत किये जाने के दृष्टिगत नगरी क्षेत्र अथवा ग्रामीण क्षेत्र में भूमि की प्रास्थिति के अनुसार ही देय प्रतिकर की वास्तविक गणना के सम्बन्ध में पर्यटन निदेशालय/सम्बन्धित अधिकारी स्वंय संतुष्ट होना सुनिश्चित करेंगे।

(12) प्रायोजना हेतु यदि नयी भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तो इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, वाराणसी के माध्यम से अधिग्रहण के सम्बन्ध में राजस्व विभाग के संगत शासनादेश की व्यवस्था अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।

(13) संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10-77 दिनांक 26.08.2014 के द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत की जा रही है।

5. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 18,34,01,655 (रुपये अट्ठारह करोड़ चौतीस लाख एक हजार छ: सौ पचपन मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 044 लेखाशीर्ष-5452801044500 विभिन्न पर्यटन स्थलों हेतु भूमि का क्रय मानक मद 60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

6. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-7-225/दस-2023-24, दिनांक- 11.10.2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

( संजीव कुमार श्रीवास्तव )
अनु सचिव।

**<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>**

प्रतिलिपि निम्नंलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
4. जिलाधिकारी, वाराणसी।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8. सम्बन्धित उप निबन्धक, सम्बन्धित तहसील/जनपद।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रा0खं0 लो0नि0वि0, वाराणसी।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/2, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
12. उप निदेशक, पर्यटन वाराणसी एवं विंध्याचल मण्डल, वाराणसी।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( संजीव कुमार श्रीवास्तव )
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।